

5-22


नोटिश का तामिला अप्राप्त है।
दिनांक 08.08.22 को अत्रिलेख उपस्थापित रहे।


08.08.22

8-08-22

नोटिश का तामिला अप्राप्त है।
अत्रिलेख उपस्थापित।
धाना प्रभारी से नोटिश तामिला अप्राप्त एवं उग्रय पक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित।
समयावधि में जांच की प्रक्रिया पूर्ण न हो सका।

अतः वारं की प्रक्रिया कार्यवाही को समाप्त कर अत्रिलेख को बन्द किया जाता है।
लेखापित।


अनु० द०श०
गिरिडीह।


अनु० द०श०
गिरिडीह।